31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सदस्य गण,

सदस्यगण
आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अपनाई जा रही अच्छी कारपोरेट पद्धतियों और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

कंपनी के लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है;

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 2018 के विनियम 76 की सीमा तक बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;
    (i) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;
    (ii) भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;
    (iii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
    (iv) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लागू नहीं है;
    (v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
    (vi) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और निर्गत प्रतिभूति की सीमा तक क्लाइंट के साथ व्यवहार संबंधी;
    (vii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009; लागू नहीं है तथा
    (viii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; लागू नहीं

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्त प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं:

– भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।

– लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा–निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, निमयों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. कंपनी ने 08 फरवरी 2020 से एक महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति (13 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के संदर्भ में सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
2. कंपनी ने क्रमशरू 08 फरवरी 2020 और 13 नवंबर 2019 से लेखापरीक्षा समिति और नामांकन तथा मेहनताना समिति के गठन के संदर्भ में सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
3. कंपनी ने 08 फरवरी 2020 से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि तब से कोई भी स्वतंत्र निदेशक इस समिति का सदस्य नहीं रहा।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल उपरोक्त टिप्पणी के अधीन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि कोई परिवर्तन किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी जाती है, कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा, जिनमें आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन किया गया) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी के निम्नलिखित विशिष्ट आयोजन/कार्य किए गए:

1. कंपनी ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक/अल्पावधिक निधि जुटाई है:

क्रम सं.	बाण्ड्स के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1	कैपिटल गेन बाण्ड्स (54 ईसी कैपिटल गेन बाण्ड्स)	6,157
2	संस्थागत बाण्ड्स	42,713
3	विदेशी मुद्रा उधार और एफसीएनआर (बी) ऋण	18,002
4	वाणिज्यिक दस्तावेज	6,029
5	बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकार से आवधिक ऋण	14,725
6	बैंकों से अल्पावधिक ऋण	2,750
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	**90,374**

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715
यूडीआईएन: F000644B000498954

तिथि : 24.07.2020
स्थान : दिल्ली

सूचनापरक टिप्पणियां :

i. इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट के अनुबंध – क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

ii. कोविड–19 महामारी के चलते प्रतिबंधित आवागमन के कारण हमने कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य रिकॉर्डों इत्यादि सहित सचिवालयी रिकॉर्डों की जांच कर सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है और उनमें से कुछ की समीक्षा कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक मोड में की गई तथा उसे मूल रिकॉर्डों से सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड सत्यापित और सही हैं।

iii. यह रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में सूचीबद्ध कानूनों / विनियमों / दिशानिर्देशों के सांविधिक अनुपालनों तक ही सीमित है, कंपनी द्वारा जिनका अनुपालन वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित इस रिपोर्ट की तारीख तक किया गया है। हम ऐसे सांविधिक अनुपालनों पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जिनकी तारीखें कोविड–19 के कारण समय–समय पर नियामकों द्वारा बढ़ा दी जाती हैं अथवा ऐसे अनुपालनों के लिए समय सीमा अभी भी शेष है।

अनुबंध– क

सदस्यगण,

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,

7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के होने के बारे में प्रबंधन की टिप्पणियां प्राप्त की हैं।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715
यूडीआईएन: F000644B000498954

तिथि : 24.07.2020
स्थान : दिल्ली